राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर कुशलगढ़ जिला बाँसवाड़ा (राज.)

फोन न0- 02965-275241 ई-मेल- sdmkushalgarh@gmail.com

SDO.KUSHALGARH@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ ( ) रीडर/2025/05 दिनांक :– 13/01/2026

निमित्त :–
तहसीलदार,
तहसील–कुशलगढ़

विषय :– निषेधाज्ञा की पालना बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 15/2022 नुरा बनाम राजेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. में न्यायालय हाजा के द्वारा जारी स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की प्रति इस पत्र के संलग्न भिजवाई जा रही है। जिसमें मूल वाद के निस्तारण तक मौके पर यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपर्युक्तानुसार।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
कुशलगढ़, जिला–बाँसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम की एवं हुक्म की ताकीद मे जारी हुए
12/08/24	पत्रावली पेश। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 07/10/24 को पेश हो।	
7-10-24	पत्रावली पेश। P.O साहब का स्थानान्तरण होने के पत्रावली दिनांक 2-12-24 को पेश हो।	
2/12/24	पत्रावली पेश। P.O साहब का स्थानान्तरण होने के पत्रावली दिनांक 3/2/25 को पेश हो।	
3/2/25	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाता पत्रावली दिनांक 24/3/25 को पेश हो।	
24-3-25	पत्रावली पेश। P.O साहब अन्य कार्य में व्यस्त होने के पत्रावली दिनांक 19-5-25 को पेश हो।	
19-5-25	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जाता पत्रावली दिनांक 14-7-25 को पेश हो।	
14-7-25	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 8-9-25 को पेश हो।	
8-9-25	पत्रावली पेश। P.O साहब अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 17-11-25 को पेश हो।	
17/11/25	पत्रावली पेश। P.O साहब SIR कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली 23/12/25 को पेश हो।	
23/12/2025	पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित। पत्रावली में प्रतिवादीगण (अप्रार्थी) व वकील अनुपस्थित। पूर्व में भी अप्रार्थी (प्रतिवादीगण) को जवाब हेतु बहुत सारे अवसर प्रदान किये गये, परन्तु जवाब आदिनांक तक अप्राप्त। बार-बार आवाजे लगाई गई, अप्रार्थी (प्रतिवादीगण) मय वकील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। पत्रावली का अवलोकन	

P.T.O

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम की एवं हुक्म की ताकीद में जारी हुए
Continue	... किया गया। पत्रावली मे संलग्न प्रार्थना पत्र तथा विक्रय इकरार नामा अनुसार राजस्व ग्राम पाटी की खाता संख्या -156 का खसरा संख्या 301 का रकबा 0.6070 हैक्टर को प्रार्थी (वादी) ने अप्रार्थी (प्रतिवादी संख्या-01) व उसकी माता सविता बेवा नानालाल से इकरार नामा द्वारा विक्रय करार किया गया। उक्त भूमि पर प्रार्थी वादी का भौतिक आधिपत्य व काब्जाकाश्त है। उक्त अभिलेखों के आधार पर, अप्रार्थी के जवाब के अभाव तथा एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश होने से व प्रार्थी अनाधिकृत हस्तक्षेप से पीड़ित होने से स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार होना न्यायोचित है। अतः प्रकरण मे अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के विरुद्ध मूलवाद के निस्तारण तक खसरा संख्या - 301 में प्रार्थी को शांति पूर्ण काश्त करने के लिये निषेधाज्ञा जारी की जाती है तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रश्नगत भूमि में मौके पर यथास्थिति बनाये रखे तथा किसी भी अनाधिकृत नही करेंगे व न किसी से करवायेंगे। उक्त निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे। उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)	